भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2441
(03 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई के अंतर्गत जारी निधि

2441. एडवोकेट ए. एम. आरिफः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार को प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत कितनी निधि जारी की गई है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों के किन-किन जिलों को कवर किया गया है;
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत केरल के अल्प्पुजा और कोल्लम में कितने आवासों का निर्माण किया गया है/किए जाने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि केरल में एक आवास के लिए आबंटित राशि अपर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का पीएमएवाई आवासों के लिए इस राशि को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत केरल सरकार को जारी की गई कुल निधि निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	**योजना**	**जारी की गई निधि**
1.	ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	121.89 करोड़ रू.

2.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)	981.29 करोड़ रुपए
	कुल	1103.18 करोड़ रुपए

(ख): पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-शहरी दोनों योजनाओं के अंतर्गत केरल के सभी 14 जिलों नामश: अलप्पूजा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कोसरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, कोझीकोड, मल्लपुरम, पलक्कड, पथनमथिट्टा, तिरूवनंतपुरम, त्रिशूर और वायनाड को शामिल किया गया है।

(ग): पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-यू योजनाओं के अंतर्गत केरल के अलप्पूजा और कोल्लम जिलों में बनाए गए/बनाए जाने वाले संभावित मकानों की संख्या का ब्यौरा निम्न है :-

क्र.सं.	**जिले**	**पीएमएवाई-जी**		**पीएमएवाई-यू**	
		आवंटित लक्ष्य	**निर्मित मकान**	**आवंटित लक्ष्य**	**निर्मित मकान**
1.	अलप्पूजा	1867	705	8305	3146
2.	कोल्लम	3295	1374	9263	3517

(घ) और (ङ): पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रू. और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं समेकित कार्य योजना (आईएपी) वाले जिलों में 1.30 लाख रू. की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस वित्तीय सहायता में भारत सरकार और राज्य सरकारों की साझेदारी का अनुपात 60:40 होता है और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पूरी लागत भारत सरकार वहन करती है। शौचालयों के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) या वित्त पोषण के अन्य किसी समर्पित स्रोत के साथ तालमेल करके 12000 रू. की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इसके अलावा, मकान के निर्माण के लिए लाभार्थी को मनरेगा के अंतर्गत 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यदि लाभार्थी चाहे तो उसे 70,000/- रू. तक का संस्थागत वित्त

प्राप्त करने की भी सुविधा दी जाती है। राज्य सरकारें भी अपने निजी संसाधनों से वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।

पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से बीएलसी (लाभार्थी से सम्बद्ध निर्माण)/एएचपी (साझेदारी में किफायती आवास) घटकों के अंतर्गत प्रति मकान 1.5 लाख रू. और आईएसएसआर (स्वस्थाने झुग्गी पुनर्विकास) के अंतर्गत प्रति मकान 1.00 लाख रू. की निर्धारित दरों पर केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्य आय वर्ग-। (एमआईजी-।) और मध्यम आय वर्ग-।। (एमआईजी-।।) के जो लाभार्थी मकान खरीदने/बनाने के लिए बैंकों, आवास वित्त कम्पनियों और ऐसी अन्य संस्थाओं से आवास ऋण लेना चाहते हैं, वे केंद्र क्षेत्र की योजना के तहत 6.00 लाख रू., 9.00 लाख रू. और 12.00 लाख रू. तक की ऋण राशि पर क्रमश: 6.5%, 4% और 3% ब्याज सब्सिडी पाने के लिए पात्र हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने लाभार्थियों के लिए मकानों को किफायती बनाने के उद्देश्य से अपने संसाधनों से अतिरिक्त सहायता देने के लिए स्वतंत्र हैं।

वर्तमान में पीएमएवाई-ग्रामीण या पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता/सब्सिडी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।